न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूल सिंह यादव (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 07/2017

उनवान प्रकरण

छोटेलाल पुत्र श्री डरेलाल उम्र 90 वर्ष जाति ठाकुर निवासी ग्राम बाजना तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर
.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 24.10.2016
तहसीलदार राजाखेडा उनवानी सरकार बनाम छोटेलाल
मुकद्वमा नम्बर 56/2016 धारा 91 एल0आर0एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री मुकेश कमठान एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 21.02.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि पटवारी हल्का बांजना की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को खसरा नम्बर 630 रकवा 62 वीधा किस्म चारागाह स्थित ग्राम बाजना तहसील राजाखेडा में से 10 विस्वा पर बाजरा की फसल बोकर व 03 विस्वा पर मकान बनाकर सम्बत 2073 में अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने एंव एक माह का सिविल कारावास की सजा तथा लगान का 50 गुना 130/–रू0 शास्ति आरोपित करते हुये आदेश पारित किया है, उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ तथा तामील कुनिदा द्वारा कोई भी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं कराई गई और न ही उसका निशानी अगूंठा भी लगबाया तथा कथित नोटिस पर अपीलान्ट का निशानी अगूंठा नहीं है तथा उस पर जो तामील कराई गई वह विधि के प्रतिपादित सिद्वांतों के

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

विपरीत कराई गई है। नोटिस पर किसी भी तामील कुनिदा के ना तो हस्ताक्षर है और ना ही उस पर कोई तारीख तामील कराये जाने बावत अंकित नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तामील को सही मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 21.10.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। दिनांक 21.10.2016 को पटवारी हल्का का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बयान अभिलिखित किया गया जिसमें कथन किया गया कि दिनांक 16.9.2016 को रिपोर्ट के समय अपीलान्ट का अतिक्रमण बताया किन्तु पत्रावली पर कोई भी मौका रिपोर्ट नहीं लगी है जबकि अपीलान्ट का किसी भी भाग पर अतिक्रमण नहीं है फिर भी जिस भाग पर कोई गलत फहमी में अतिक्रमण था तो उसने उसे हटा दिया है। अपीलान्ट ने शास्ति की राशि जमा करा दी है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय व प्रकरण की जानकारी आज से लगभग 15 दिवस पूर्व हुई हैं। जानकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी गिरफतारी वारन्ट के जारी होने के तथा पुलिस थाना राजाखेडा द्वारा अपीलान्ट की तलाश किये जाने पर हुई है। जानकारी होते ही अपीलान्ट ने निर्णय की नकल प्राप्त की तब उसे यह जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत सम्मन तामील होने के बाद अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही की गई है। जानकारी एवं नकल प्राप्त होने के दिवस से अपील अन्दर अवधि है फिर भी निर्णय दिनांक 24.10.2016 के विरूद्व अपील अन्दर अवधि सुमार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र परसीमा अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ तथा तामील कुनिदा द्वारा कोई भी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं कराई गई है। कथित नोटिस पर अपीलान्ट का निशानी अगूंठा नहीं है तथा उस पर जो तामील कराई गई वह विधि के प्रतिपादित सिद्वांतों के विपरीत कराई गई है। नोटिस पर किसी भी तामील कुनिदा के ना तो हस्ताक्षर है और ना ही उस पर कोई तारीख तामील कराये जाने बावत अंकितं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तामील को सही मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 21.10.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलान्ट का किसी भी भाग पर अतिक्रमण नहीं है फिर भी जिस भाग पर कोई गलत फहमी में अतिक्रमण था तो उसने उसे हटा दिया है। अपीलान्ट ने शास्ति की राशि जमा करा दी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्ट छोटेलाल पर स्वंय

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

विधिवत हुई है। अतिक्रमी वावजूद तामील सूचना के उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने 10 विस्वा पर बाजरा की फसल बोकर व 03 विस्वा पर मकान बनाकर विवादित चारागाह भूमि पर सम्बत 2073 में अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने सम्बत 2072 में भी अतिक्रमण किया था तथा उसे बेदखल किया गया था। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्ट छोटेलाल पर स्वंय हुई है। नोटिस पर उसके अगूंठा निशानी मौजूद है जो तामील कुनिन्दा द्वारा अपने हस्ताक्षर कर वाद तामील पेश किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन सत्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.10.2016 के अनुसार अपीलान्ट बावजूद तामील सूचना के उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। इससे यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट को इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी रही है। अपीलान्ट के द्वारा अतिक्रमण के विरूद्व न तो कोई जबाव पेश किया और न ही अतिक्रमण से इन्कार किया है। अपीलान्ट का यह कथन मान भी लिया जावे कि उसके द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं किया है, तो उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित दिनांक को अपना जबाव व पक्ष प्रस्तुत करना चाहिऐ था लेकिन उसके द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है और पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं हो। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन सत्य नहीं है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट ने सम्बत 2073 खरीफ में विवादित चारागाह भूमि पर बाजरा की फसल व मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने अपनी वहस में यह भी स्वीकार किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि जमा करादी है। अतः राशि जमा कराने की स्वीकारोक्ति से भी यह सावित होता है कि उसने विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं बयान तथा अन्य दस्तावेजों से स्पष्ट प्रमाणित है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी सम्बत 2072 में उक्त विवादित चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे मौके से बेदखल किया गया था। पुनः अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अपीलान्ट बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया उसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अतः आदेश है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार राजाखेडा द्वारा प्रकरण संख्या 56/2016 उनवानी सरकार बनाम छोटेलाल में दिनांक 24.10.2016 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार राजाखेडा को प्रेषित की जावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर